

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

#### साप्ताहिक

### WEEKLY

सं. 35]

नई दिल्ली, अगस्त 25—अगस्त 31, 2019, शनिवार/भाद्र 3—भाद्र 9, 1941

No. 35]

NEW DELHI, AUGUST 25-AUGUST 31, 2019, SATURDAY/BHADRA 3-BHADRA 9, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

# गृह मंत्रालय

# (अंतर्राज्य परिषद सचिवालय)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 267.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 1994 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन अंतर्राज्य परिषद सचिवालय में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-I) समूह 'ग' अराजपत्रित के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय (स्टाफ कार ड्राइवर – समूह 'ग' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

number of candidates		
belonging to these		
communities possessing the		
requisite experience are not		
likely to be available to fill		i
up the posts reserved for		
them.		

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption deputation grades from which promotion or	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
deputation or		rules
absorption to be made		
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-  (1) Additional Deputy Director General (Head Quarter), - Chairperson; Central Government Health Scheme  (2) Deputy Director (Administration), - Member; Directorate General of Health Services  (3) Chief Medical Officer, - Member; Central Government Health Scheme  (4) Administrative Officer, Establishment - Member. (Non-Gazetted) Central Government Health Scheme	Not applicable.

[F.No. A-12018/11/2018-CGHS-I]

DHARMINDER SINGH, Under Secy.

# नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2019

- सा.का.नि. 272.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वेक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई, में उपापन अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वेक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चैन्नई, उपापन अधिकारी(समूह 'ख'पद)भर्ती नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति –

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछडें वर्गों,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद या	सीधे भर्ती किए जाने
			स्तर	अचयन पद	वाले व्यक्तियों के
			}		लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उपापन अधिकारी	01*	साधारण केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(2019)	सेवा, समूह 'ख'	स्तर-8 (47600-		
:	🕇 *कार्यभार के आधार	राजपत्रित,	151100 হ.)		
	पर परिवर्तन किया	अननुसचिवीय			,
	जा सकता है।				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	मिथित पद्धति द्वारा
			(प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित और प्रोन्नति)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या		परामर्श करना आवश्यक है ।
पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी या कानूनी		
निकायों, के अधीन ऐसे अधिकारी:-		
·		
(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर		
सदृश पद धारण किए हुए है ;या		
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400		
रू.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में		
2 वर्ष की सेवा की हो या वेतन मेट्रिक्स में स्तर-6		
(35400-112400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार		
पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा की हो;	•	
और		
(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते		
हो;		
(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामग्री	·	
प्रबंधन में, वाणिज्य में स्नातकोतर या		
व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोतर और केन्द्रीय		
सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक		
सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या । अनुसंधान संस्थानों या स्वशासी या ।		
कानूनी निकायों से विक्रय, पूर्ति, उपापन		
और भण्डार प्रबंधन में 2 वर्ष का अनुभव ।		
<b>टिप्पण</b> 1: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-		•
112400 रू.) में से ऐसे विभागीय अधिकारी		
जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है		
और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार		
करने के लिए विहित अर्हता और अनुभव रखते हो,		
पर बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा ।	İ	
यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थी		
का चयन किया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भर		
दिया गया समझा जाएगा।		ĺ
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत		
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी		
अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के अवधि है		
साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए		
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम		
तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा. सं. ए. 12018/08/2017-ईपीआई] जी. के. पिल्लई,अवर सचिव

#### New Delhi, the 26th August, 2019

- G.S.R. 272.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Procurement Officer in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai namely:
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Procurement Officer (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2019.
  - (2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### **SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	· (5)	(6)
Procurement Officer	1* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B' Gazette, Non- Ministerial.	Level-8 in the pay matrix(Rs. 47600- 151100)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Composite Method [Deputation Including Short Term Contract (ISTC) plus Promotion]

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (Including Short Term Contract).	Not applicable	Consultation with Union
Officers under the Central Government or State Government		Public Service Commission
or Union Territories Administration or Public Sector		is necessary.
Undertaking or University or Recognised Research		
Institutes or Autonomous or Statuary Bodies.		
(A) (i) holding analogous posts on regular basis in the		
parent cadre or department; or		
(ii) with two years service in the grade rendered after		
appointment there to on a regular basis in the level-7 (Rs.		·
44900-142400) in pay matrix or Six years service in the		
grade rendered after appointment there to on a regular basis		
in the level-6 (Rs. 35400-112400) in pay matrix or	•	
equivalent; and	·	
(B) Possessing the following educational qualification and		
experience;		
(i) Master Degree in Commerce or Master of Business Administration, in material management from a recognised		•
University and two years experience in sales, supply,		
procurement, store management from Central Government or		
State Government or Public Sector Undertakings or		ļ
University or Research Institutes or Autonomous or Statutory		
Bodies.		
Note 1: Departmental Store Officer in level-6 (Rs. 35400-		
112400) in pay matrix with Six years of regular service in the		
grade and having the education qualification and experience		
prescribed for considering appointment on deputation basis is	].	
considered along with outsiders. If the departmental	·	
candidate is selected for appointment to the post, it shall be		
treated as having been filled by promotion.		
Note 2: Period of deputation in another ex-cadre post held		
immediately preceding this appointment under these rules in		
the same or some other organization or department of the		
Central Government shall ordinarily not exceed three years.		
Note 3: The maximum age limit for appointment on		
deputation shall be not exceeding 56 years from the date of receipt applications.		٠.
recorpt applications.		

[F. No. A-12018/08/2017-EPI]

G. K. PILLAI, Under Secy.

# नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2019

सा.का.नि.273.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली पंचकर्मा सहायक भर्ती नियम, 1982 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में पंचकर्मा उपचार विज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पंचकर्मा उपचार विज्ञानी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।